



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 11.08.22

थाना छपरौली पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 209/22 धारा 392/411 भादवि व 210/22 धारा 307 भादवि में वांछित 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त अजय उर्फ पाटा को पुलिस मुठभेड के बाद एक अन्य साथी के साथ किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस एवं 02 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरें/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 209/2022 धारा 392/411 भादवि व मु0अ0सं0 210/2022 धारा 307 भादवि में वांछित 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त अजय उर्फ पाटा को पुलिस मुठभेड के बाद एक अन्य साथी अर्जुन के साथ गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस एवं 02 मोबाइल फोन बरामद हुए है । अभियुक्त अजय उर्फ पाटा उपरोक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरमादगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ पाटा दिनांक 13-07-22 को ग्राम कुर्डी के श्री साईं कृपा किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प पर लूट करने की घटना व पुलिस मुठभेड में वांछित चल रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अजय उर्फ पाटा पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बहावडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
2. अर्जुन पुत्र नरेन्द्र मलिक निवासी ग्राम भिक्का माजरा थाना बाबरी जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- 02 मोबाइल फोन की-पैड (सैमसंग) ।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ पाटा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 209/2022 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2. मु0अस0 210/2022 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. मु0अ0स0 611/2016 धारा 120बी/147/148/149/302/506 भादवि थाना शामली जनपद शामली ।
4. मु0अ0सं0 380/18 धारा 174 ए भादवि थाना शामली जनपद शामली ।
5. मु0अ0सं0 224/19 धारा 307 भादवि थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ ।
6. मु0अ0सं0 226/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ ।
7. मु0अ0सं0 902/22 धारा 392/4111 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद ।
8. मु0अ0सं0 446/13 धारा 302/120 बी भादवि थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर ।
9. मु0अ0सं0 231/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना छपरौली जनपद बागपत ।
10. मु0अ0सं0 232/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 520/19 धारा 414 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 940/19 धारा 379/411 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 231/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना छपरौली जनपद बागपत ।

4. मु0अ0सं0 233/22 धारा 3/25/27 आम्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री देवेश कुमार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- व0उ0नि0 श्री धर्मसिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3- प्रभारी उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह मय सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5- उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 6- का0 731 मनीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 7- का0 115 पवन नागर थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 11-08-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 721/22 धारा 413 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.08.2022 को थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत चोरी की विभिन्न घटनाओं के अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए सम्बन्धित अभियुक्त 1- नौमान पुत्र इमरान 2- वज्जु उर्फ वाजिद 3- आस मौ0 उर्फ आशु 4-आरिफ पुत्र फौजुद्दीन 5- ईनाम को मय चोरी किये गये माल के गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।



पुछताछ/विवेचना के दौरान उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अभियुक्त दानिश पुत्र बाबू निवासी जाकिर कालोनी न्यु इस्लामनगर गली नं0-5 थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ को पूर्व में कई बार चोरी का माल बेचना बताया था जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 721/22 धारा 413 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 721/22 धारा 413 भादवि में वांछित अभियुक्त दानिश को गिरफ्तार किया गया है, एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- दानिश पुत्र बाबू निवासी जाकिर कालोनी न्यु इस्लामनगर गली नं०-5 थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री कैलाशचन्द थाना बडौत
- 2-का० 1043 सुनील यादव थाना बडौत
- 3- हो०गा० 279 श्रीपाल सिंह थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 11.08.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 954/21 धारा 376/342/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 954/21 धारा 376/342/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शहजाद पुत्र हासिम निवासी ग्राम बेग्गी नाजर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत
- 2-का0 257 बलजीत सिंह थाना बडौत
- 3-का0 262 कवित कुमार थाना बडौत
- 4-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 11.08.2022

थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व

पता-

1- शादाब पुत्र शौकत निवासी पट्टी तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री हरवीर सिंह थाना दोघट

2- एचजी 422 सहदेव थाना दोघट



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 11-08-2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 179/22 धारा 411/414/420 भादवि व थाना बडौत के मु०अ०सं० 326/22 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.07.2022 को थाना दोघट पुलिस द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत मु०अ०सं० 326/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए सम्बन्धित अभियुक्त 1.अरविन्द पुत्र मालू 2.गोलू पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत को मय चोरी किये गये माल के गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त सतीश उर्फ ढोला पुत्र ओमवीर सैनी निवासी ग्राम तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट वांछित था । इस सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दोघट पर मु०अ०सं० 179/2022 धारा 411/414/420 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त सतीश उर्फ ढोला वांछित चल रहा था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 179/22 धारा 411/414/420 भादवि व थाना बडौत के मु0अ0सं0 326/22 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त सतीश उर्फ ढोला को गिरफ्तार किया गया है, एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सतीश उर्फ ढोला पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरवीर सिंह थाना दोघट

2-का0 1077 सन्तोष कुमार थाना दोघट